

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 62/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

नवीन कुमावत पता: 26, बडबडेश्वर रोड़, देवाली गांव, गोवर्धनविलास, उदयपुर  
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर  
.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
निर्णय



दिनांक: 02/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.03.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/62/25/406-07 दिनांक 24.04.2025 एवं पत्रांक 516-17 दिनांक 22.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक: एफ32 ( )रसद/स्था./2025/725 दिनांक 30.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रथम अपील संख्या 62/25 के संबंध में नवीन कुमावत को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 724 दिनांक 30.05.2025 से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः प्रथम अपील निरस्त फरमाने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकार एवं जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 725 दिनांक 30.05.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकार एवं जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी  
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ०२-०६-२५ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि. एवं  
जिला कलक्टर, उदयपुर